दिनांक 10.11.2017 को प्रमुख सचिव गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में रिट याचिका संख्या–406/2013 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.05.2017 के अनुपालन में की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्तः–

बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1. श्री भूपाल सिंह मनराल, अपर सचिव गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री पी0वी0के0 प्रसाद, महानिरीक्षक, कारागार, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री तुलसीराम, अपर महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड।
4. श्री जीवन सिंह, उप सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक आरम्भ की गयी। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा की गयीः–

बिन्दु संख्या–1 कारागारों मे कार्मिकों की कमी की समस्या के निवारण में रिक्त सीधी/पदोन्नति के पदों को दिनांक 31.12.2017 तक भरा जायः–

वर्तमान स्थिति/निर्देश –

अवगत कराया गया कि राज्य के कारागारों हेतु अधीक्षक के 03 पद एवं उप कारापाल के सीधी भर्ती के रिक्त 26 पदों के अधियाचन पर शासन स्तर से कार्यवाही गतिमान है। फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा लिखित परीक्षा करायी जा चुकी है, जिसका परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। वर्ष 2016–17 में बंदी रक्षकों के 400 पदों पर भर्ती की कार्यवाही पूर्ण कर बंदी रक्षकों को कारागारों पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है।

जेल महिला बंदीरक्षक सेवा–नियमावली, 2011 संसोधन हेतु शासन में प्राप्त है जिस पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है। नवीन सेवा–नियमावली प्रख्यापित होने के पश्चात् शीघ्र महिला बंदी रक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जायेगी।

बंदीरक्षक संवर्ग से प्रधान बंदीरक्षक, रिजर्व प्रधान बंदीरक्षक एवं महिला प्रधान बंदीरक्षक के पदो पर दिनांक 28.08.2017 को पात्र कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है तथा कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या–4887/80/का0चिकित्सक/2007, दिनांक 16.01.2017 द्वारा कारागारों पर मानदेय के आधार पर चिकित्सक को तैनात करने के निर्देश दिये गये है।

बिन्दु संख्या 2– कारागार विभाग के कर्मचारियों को क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से नियमित तौर पर प्रशिक्षण दिया जायः–

वर्तमान स्थिति/निर्देश –

i. 367 बंदीरक्षको को पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से 03 माह का प्रशिक्षण एवं 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण कारागार स्तर से प्रदान किया गया है।

ii. श्री मनोज कुमार आर्या, वरिष्ठ अधीक्षक एवं श्री महेन्द्र सिंह ग्वाल, अधीक्षक को दिनांक 17 से 19 जुलाई, 2017 तक ''Change Management'' के अन्तर्गत तीन दिवसीय प्रशिक्षण चन्डीगढ़ में प्रदान किया गया।

iii. श्री मनोज कुमार आर्या, वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा दिनांक 05.05.2017 को नई दिल्ली में आयोजित National Workshop with heads of prisons of State/UTs के अन्तगर्त प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

बिन्दु संख्या 4–कारागारों में जेल विजिटरों की नियुक्ति एवं बोर्ड ऑफ विजिटर्स का गठन किया जायः–

वर्तमान स्थिति/निर्देश –

जेल विजिटरों की नियुक्ति एवं बोर्ड ऑफ विजिटर्स के गठन के सम्बंध में महानिरीक्षक कारागार को निर्देशित किया गया कि उक्त के सम्बंध में 15 दिन के अन्दर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

बिन्दु संख्या 5– बंदियों के खाने–पाने, कपड़ों व कल्याण हेतु आंवटित बजट व व्यय धनराशि का राज्य व केन्द्रीय स्तर पर गठित ऑडिट निकायों से आडिट कराना:–

वर्तमान स्थिति/निर्देश –

प्रत्येक वर्ष कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रत्येक कारागारों के आय–व्यय का ऑडिट किया जाता है।

उक्त के साथ ही महानिरीक्षक, कारागार उत्तराखण्ड को यह निर्देश भी दिये गये कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 2–5–2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही से मा0 न्यायालय को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्यवाही कर ली जाय तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाय। **इस कार्य में कोई शिथिलता न बरती जाय।**

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(आनन्द वर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या– 1129/बीस–4/2017–5(45)/2013
देहरादून : दिनांक 29 नवम्बर, 2017

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– अपर सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से

(जीवन सिंह)
उप सविव।